<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>

<u>पर्यटन अनुभाग</u>

<u>संख्या-134/2021/688/41-2021-86 (बजट)/2020</u>

लखनऊ दिनांक 19 फरवरी, 2021

<u>संख्या-75/2021/4026/41-2020-86(बजट)/2020 दिनांक 02 जनवरी, 2021</u>

<u>का शुद्धि पत्र</u>

राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद गाजीपुर के ग्राम पंचायत करण्डा में स्थित सीमिया माई मंदिर के पुनर्निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** हेतु निर्गत **शासनादेश संख्या-75/2021/4026/41-2020-86(बजट)/2020 दिनांक 02 जनवरी, 2021** के संदर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक-6207/6-1-1(1200)/2020-21 दिनांक 11 फारवरी 2021 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उक्त शासनादेश में पृष्ठांकन के **क्रम सं0-4** में त्रुटिवश **सम्बन्धित कोषाधिकारी अंकित** हो गया है जिसके स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी** पढ़े जाने सम्बन्धी शुद्धि पत्र निर्गत किया जाय।

2. अत: **शासनादेश संख्या-75/2021/4026/41-2020-86(बजट)/2020 दिनांक 02 जनवरी, 2021** द्वारा उक्त योजना हेतु प्रदान की गयी वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रतिलिपि के क्रमांक-4 पर अंकित **सम्बन्धित कोषाधिकारी** को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी** अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक **02 जनवरी, 2021** उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्तें एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

<u>संख्या-134/2021/688(1)/41-2021-86 (बजट)/2020 तद्दिनांक::</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग गाजीपुर।
8- सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग गाजीपुर।
9- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
10- संयुक्त निदेशक, पर्यटन ,वाराणसी एवं विन्ध्याचल मण्डल, वाराणसी।
11- संबंधित पर्यटन अधिकारी।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in